

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या: 1494 / नौ-7-2020-42(वाराणसी)/2012
लखनऊ दिनांक: 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, शासकीय अधिसूचना संख्या-2184 / नौ-7-2019-42(वाराणसी)-2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-1 में :-

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी कम संख्या के स्थान पर स्तम्भ-2 में प्रत्येक कम संख्या के सापेक्ष संख्यांकित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
4	ग्राम सुसवाही, ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 2122, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 2122 किता, 283.801हे0
9	ग्राम नासिरपुर, ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 171, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 171 किता, 50.163हे0
13	ग्राम सुरामनपुर, ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 429, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 429 किता, 64.239हे0
16	ग्राम जलालीपट्टी, ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 383, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 383 किता, 90.994हे0
17	ग्राम पहाड़ी ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 1179, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 1179किता, 128.895हे0
23	ग्राम महेशपुर, ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 251, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 251 किता, 59.546हे0
28	ग्राम फुलवरिया, ब्लाक काशी विद्यापीठ गाटा सं0-1 से 990 सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 990 किता, 210.524हे0
40	ग्राम अहमदपुर, ब्लाक हरहुओं गाटा सं0-1 से 350, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 350किता, 48.251हे0
52	ग्राम रमदत्तपुर, ब्लाक हरहुओं गाटा सं0-1 से 520, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 520 किता, 61.813हे0
53	ग्राम गोइठहा, ब्लाक चिरईगाँव गाटा सं0-1 से 1072, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 1072 किता, 151.214हे0
54	ग्राम रजनहिया, ब्लाक चिरईगाँव गाटा सं0-1 से 337, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 337 किता, 59.093हे0
55	ग्राम हृदयपुर, ब्लाक चिरईगाँव गाटा सं0-1 से 310, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 310 किता, 43.824हे0
61	ग्राम बकसड़ा, ब्लाक हरहुओं गाटा सं0-1 से 107, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 107 किता, 3.946हे0
76	ग्राम सरायमोहाना, ब्लाक चिरईगाँव, गाटा सं0-1 से 244, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = 244 किता, 91.980हे0

(ख) कम संख्या-७९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्या एवं प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

- ८० ग्राम लालपुर मीरापुर बसही , ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से ८८९, ८९१, ८९५ से ९०४ = ९०० किता, २२८.६२१हे०
- ८१ ग्राम नगवाँ ब्लाक काशी विद्यापीठ, गाटा सं०-८५ से ८७, ९८, ९९, १०१ से ११४, १२०, १२२ से १२६, १२८ से १५१ -४९ किता २७.७६६हे०
- ८२ ग्राम लालपुर अनौला , ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से २९, ११३ से १६१ = ७८ किता, २०.५८४हे०
- ८३ ग्राम बनियापुर , ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से २०२, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = २०२किता, ३८.२०७हे०
- ८४ ग्राम भवानीपुर, ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से १०६०, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = १०६० किता, ९२.४३७हे०
- ८५ ग्राम पिसौर , ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से १६४२, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = १६४२किता, २०६.४१९हे०
- ८६ ग्राम दानियालपुर, ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से ९६ सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = ९६.किता, ८७.६१५.हे०
- ८७ ग्राम भिटारी, ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से २२४ सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = २२४ किता, ५०.६७०हे०
- ८८ ग्राम बेदौली, ब्लाक हरहुआँ गाटा सं०-१ से ४०६ सम्पूर्ण राजस्व ग्राम = ४०६.किता, ७४.४६७हे०

(ग) कम संख्या-७९ के पश्चात् शब्द और अंक "४१८५१ किता" और "८६२१.६९१ हे०" के स्थान पर शब्द और अंक कमशः "४७३६९ किता" और "९३७३.१७४ हे०", रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,


(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : १५७५ (१)/नौ-७-२०-४२ (वाराणसी)/२०१२ दिनांक २० दिसम्बर, २०२०

अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उक्त अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-४ खण्ड (ख) में दिनांक २० दिसम्बर, २०२० को प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की ५० प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या : 1494 (ii)/नौ-7-20-42(वाराणसी)/2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, पंचायतीराज, ग्राम विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा वित्त विभाग उ०प्र० शासन।
2. सचिव राज्य निर्वाचन, उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज लखनऊ
6. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7. जिलाधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)

विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG -7

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 1494/9-7-2020-42(Varanasi)/2012, dated 20 December, 2020.

NOTIFICATION

No- 1494 /9-7-2020-42(Varanasi)/2012

Lucknow: Dated 20 December, 2020

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P.Act no. 2 of 1959), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government Notification No.2184/IX-7-19-42(Varanasi)-2012 dated 05 December, 2019 :

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule-1 :-

(a) for the serial numbers given in Column-1 below, the entries enumerated against each serial number in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1	Column 2
4	Village Susuwahi, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 2122 all revenue village =2122 kita, 283.801 Hect.
9	Village Nasirpur, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 171 all revenue village =171 kita, 50.163 Hect.
13	Village Suramanpur, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 429 all revenue village =429 kita, 64.239 Hect.
16	Village Jalalipatti, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 383 all revenue village =383 kita, 90.994 Hect.
17	Village Pahari, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 1179 all revenue village =1179 kita, 128.895 Hect.
23	Village Maheshpur, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 251 all revenue village =251 kita, 59.546 Hect.
28	Village Phulwariya, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 990 all revenue village =990 kita, 210.524 Hect.
40	Village Ahmadpur, Block Harhua plot no. 01 to 350 all revenue village =350 kita, 48.251 Hect.
52	Village Ramdatpur, Block Harhua plot no. 01 to 520 all revenue village =520 kita, 61.813 Hect.
53	Village Goithahan, Block Chiraigaon plot no. 01 to 1072 all revenue village =1072 kita, 151.214 Hect.
54	Village Rajnahiyan, Block Chiraigaon plot no. 01 to 337 all revenue village =337 kita, 59.093 Hect.
55	Village Hridaypur, Block Chiraigaon plot no. 01 to 310 all revenue village =310 kita, 43.824 Hect.

61	Village Baksara, Block Harhua plot no. 01 to 107 all revenue village =107 kita, 3.946 Hect.
76	Village Saraimohana, Block Chiraigaon plot no. 01 to 244 all revenue village =244 kita, 91.980 Hect.
78	Village Sujabad, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 01 to 215 all revenue village =215 kita, 73.378 Hect.

(b) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

- | | |
|----|---|
| 80 | Village Lalpur meerapur basahi, Block Harhua plot no. 01 to 889,891,895 to 904 =900 kita, 228.621 Hect. |
| 81 | Village Nagwan, Block Kashi Vidyapeeth plot no. 85 to 87,98,99, 101to114, 120, 122 to 126, 128 to 151 =49kita, 27.766 Hect. |
| 82 | Village Lalpur anuala, Block Harhua plot no. 01 to 29,113 to161 =78kita, 20.584 Hect. |
| 83 | Village Baniapur, Block Harhua plot no. 01 to 202 all revenue village =202kita, 38.207 Hect. |
| 84 | Village Bhawanipur, Block Harhua plot no. 01 to 1060 all revenue village =1060kita, 92.437 Hect. |
| 85 | Village Pisaur, Block Harhua plot no. 01 to 1642 all revenue village =1642kita, 206.419 Hect. |
| 86 | Village Daniyalpur, Block Harhua plot no. 01 to 96 all revenue village =96kita, 87.615 Hect. |
| 87 | Village Bhitaree, Block Harhua plot no. 01 to 224 all revenue village =224kita, 50.670 Hect. |
| 88 | Village Bedauli, Block Harhua plot no. 01 to 406 all revenue village =406kita, 74.467 Hect. |

(c) after serial number 79 for the words and figures "41851 kita" and "8621.691 Hect.", the words and figures "47369 kita" and "9373.174 Hect." shall be substituted respectively.

Order by



(Deepak Kumar)

Principal Secretary.